केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18,संस्थागत क्षेत्र,शहीद जीतसिंह मार्ग
18, Institutional Area Saheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110016
फोन न./Phone no.26858570, फैक्स/ FAX 26524580
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in

फा. सं. 11086/01/2012-केविसं(मुख्या.)/प्रशा.II / 291 - 338

दिनांक :- 13.03.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केंद्रीय विद्यालय संगठन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) सुविधाएँ प्रदान करने के संबंध में।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.03.2019 के अपने पत्र संख्या 3-5/2011-यूटी-2 के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 06.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11016/8/2015-सीजीएचएस की प्रतिलिपि प्रेषित की गई है जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन के उन सभी सेवानिवृत कर्मचारियों को सीजीएचएस सुविधाएँ उन सभी निबंधन एवं शर्तों पर और उन सीजीएचएस सुविधा के अंतर्गत आने वाले सभी शहरों में रहने वाले कार्मिकों के लिए प्रदान की गई है जो सेवा के दौरान सीजीएचएस की सुविधाएं प्राप्त कर रहे थे और इसके लिए वे सभी शर्तें यथावत रहेंगी जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 29.05.2015 के कार्यालय ज्ञापन में दिल्ली / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले केविसं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए दी गई है।

इस संबंध में अन्य सभी शर्तें केविसं के दिनांक 21.08.2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11086/01/2012-केविसं (मुख्या.)/प्रशा. II के तहत परिचालित किए गए दिनांक 29.05.2015 के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में दिए अनुसार यथावत रहेंगी।

नोट :- इस कार्यालय ज्ञापन के हिन्दी पाठ के अर्थ की विवेचना के दौरान यदि कोई भ्रांति हो तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही प्राधिकृत माना जाए।

13/03/19
(डॉ. शची कान्त)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण :-

1. उपसचिव, यूटी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके दिनांक 13.03.2019 के पत्र संख्या 3-5/2011-यूटी के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अपर निदेशक (मुख्या.), सीजीएचएस, सेक्टर.12, आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
3. अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सीजीएचएस (पी)/ईएचएस अनुभाग, निर्माण भवन को दिनांक 06.03.2019 के उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या एस. 11016/8/2015- सीजीएचएस(पी) के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. आयुक्त, केविसं (मुख्या.), नई दिल्ली के निजी सचिव।
5. अपर आयुक्त (प्रशा. /शैक्षिक), केविसं (मुख्या.), नई दिल्ली के निजी सचिव।
6. केविसं के सभी अधिकारियों को सूचनार्थ।
7. उपायुक्त, केविसं, समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. निदेशक, केविसं, समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. सहायक आयुक्त (एल एंड सी), केविसं (मुख्या.), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे अगली सुनवाई की तारीख को केविसं के वकील के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल को अवगत कराएं।
10. उपायुक्त (शैक्षिक/ईडीपी), केविसं (मुख्या.), नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इस पत्र को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड़ करवाएँ।
11. महा सचिव, केविसं के समस्त कर्मचारी संघ (एआईकेवीटीए/केवीपीएसएस/केईवीआईएनटीएसए) को सूचनार्थ।